*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 58 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 13/09/18

विषयः– विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की कुल राशि ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर परिषद्, शेखपुरा एवं नगर पंचायत, राजगीर में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा एवं नगर पंचायत, राजगीर द्वारा आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर परिषद्, शेखपुरा एवं नगर पंचायत, राजगीर में पूर्व से स्वीकृत सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 7 में अंकित अवशेष राशि के समतुल्य स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल राशि ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, शेखपुरा	नगर परिषद्, शेखपुरा अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य।	113/ 14.02.2015 एवं 15/ 15.07.2015	135.26000	67.63000	67.63000	67.63000
2	नगर पंचायत, राजगीर	नगर पंचायत, राजगीर अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य।	113/ 14.02.2015 एवं 15/ 15.07.2015	135.26000	67.63000	67.63000	67.63000
			कुल योग	270.52000	135.26000	135.26000	135.26000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा तथा नगर पंचायत, राजगीर होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98, पत्रांक— 354, दिनांक— 28.03.2018 एवं पत्रांक— 662, दिनांक— 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

6. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :—

(क) उक्त स्वीकृत ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र में से क्रमांक— 1 के स्तम्भ— 8 में अंकित ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष— 192—नगर पालिकाओं—नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष— 0105—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217031920105,** विषय शीर्ष— 0105.31.05 सहायक अनुदान— परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत ₹135.26000 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र में से क्रमांक— 2 के स्तम्भ— 8 में अंकित कुल ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र की निकासी उपबंधित मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष— 193—नगर पंचायतों—अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष— 0104—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217031930104,** विषय शीर्ष— 0104.31.05 सहायक अनुदान— परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/ना०सु०–03–03/2015 के पृष्ठ सं०–108/टि० पर दिनांक–10/09/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–109/टि० पर दिनांक–10/09/2018 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 58 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13/09/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा तथा नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.09.18

सरकार के विशेष सचिव।